प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 16.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीएल) एवं अन्य के विरुद्ध चल रही धन शोधन जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में एक आवासीय मकान, भूखंड तथा बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि शामिल है, जो सुनील कुमार त्रिपाठी, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके नियंत्रणाधीन संस्थाओं के नाम पर धारित हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने थाना हबीबगंज, भोपाल तथा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू), भोपाल द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच प्रारंभ की। ये एफआईआर मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीएल) से जुड़े निदेशकों, अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी एवं जाली दस्तावेजों के उपयोग से संबंधित आरोपों के संबंध में दर्ज की गई थीं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत की गई जांच में यह उजागर हुआ कि मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीएल) 'मिलावटी दुग्ध उत्पादों के निर्माण एवं निर्यात' में संलिप्त थी तथा निर्यात स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए 'जाली प्रयोगशाला रिपोर्टों' का उपयोग किया जा रहा था। मेसर्स जेजीएफपीएल के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील कुमार त्रिपाठी ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत कर ऐसी जाली रिपोर्टों की तैयारी एवं उनके उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इन जाली रिपोर्टों का उपयोग स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए किया गया, जिनके आधार पर संबंधित उत्पादों का निर्यात किया गया।

आगे की जांच में यह भी सामने आया कि सुनील कुमार त्रिपाठी मेसर्स जेजीएफपीएल के स्टॉक से दुग्ध उत्पादों के अवैध विचलन एवं गबन में संलिप्त था। विचलित किए गए उत्पादों की बिक्री उसके नियंत्रणाधीन संस्थाओं, जिनमें मेसर्स सियाजीत एक्सपोर्ट्स, मेसर्स सुगम फूड्स तथा अन्य संस्थाएं शामिल हैं, के माध्यम से फर्जी चालानों एवं बिलों का उपयोग कर की गई। ऐसी बिक्री से प्राप्त धनराशि को अनेक संस्थाओं के माध्यम से रूट किया गया तथा उसके वास्तविक स्रोत को छिपाने के उद्देश्य से काल्पनिक एवं फर्जी लेन-देन के जरिए असंबद्ध संस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर लेयरिंग किया गया।

अपराध से अर्जित अतिरिक्त आय की पहचान करने, धन के प्रवाह (मनी ट्रेल) का पता लगाने तथा धन शोधन के अपराध से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं की संलिप्तता का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।